एम पी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
CIN : U40109MP2006SGC018637

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत, 482008

फोन : 0761-2661111, 2660500, फैक्स : 0761-2661696, वेबसाईट : www.mppmcl.com, ईमेल : md@mppmcl.com

क्र. मु.महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)/2082 /जबलपुर, दिनांक : 26.04.2021

आदेश

कंपनी के नियमित कार्मिकों हेतु कोविड-19 की विषम एवं गंभीर परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार की तत्काल सुविधा मुहैया कराये जाने के दृष्टिगत "कोविड-19 – चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना" से संबंधित निर्देश जारी किये जाते है। उक्त योजना के तहत प्रावधान एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

i. चिकित्सा अग्रिम संबंधी यह सहायता कंपनी के नियमित कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों हेतु प्रदान की जायेगी।

ii. चिकित्सा अग्रिम हेतु संबंधित कार्मिक को आवेदन प्रस्तुत करते समय कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, चिकित्सक की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। यदि कार्मिक कोविड वार्ड या अस्पताल में भर्ती है एवं हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो अस्पताल द्वारा जारी पर्ची को संबंधित नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जा सकेगा।

iii. चिकित्सा अग्रिम हेतु अधिकतम 3 लाख रूपये स्वीकृत किया जा सकेगा। उक्त चिकित्सा अग्रिम राशि स्वीकृत किये जाने हेतु मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) अधिकृत होंगे।

iv. कार्मिक को स्वस्थ होने के उपरांत चिकित्सा अग्रिम आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 06 माह के अन्दर चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के साथ सभी संबंधित दस्तावेज उचित माध्यम से नियमानुसार प्रेषित करना होगा।

v. कोविड-19 के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी द्वारा जारी आदेश क्रमांक मु.महाप्रबं (मा.संसा.एवं प्रशा.)/6267 दिनांक 26.09.2020 के अनुसार प्रकरण में ग्राहय राशि की गणना हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त ग्राहय राशि की गणना के पश्चात नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक का भुगतान / समायोजन किया जायेगा।

vi. चिकित्सा अग्रिम की राशि अधिक होने की स्थिति चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक राशि के समायोजन करने के पश्चात शेष चिकित्सा अग्रिम राशि की वसूली संबंधित कार्मिक के वेतन से समान 24 किस्तों में की जायेगी। कार्मिक की सेवानिवृत्ति की अवधि 24 माह से कम होने की स्थिति में शेष राशि की वसूली समान किस्तों में की जावेगी।

vii. कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना आदेश जारी होने की दिनांक से 03 माह के लिए लागू की गई है। 03 माह पश्चात कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए योजना अवधि को बढ़ाने के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,

मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा.एवं प्रशा.)
एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
जबलपुर

क्र. मु.महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)/2083 /जबलपुर, दिनांक : 26.04.2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य महाप्रबंधक (राजस्व प्रबंधन)/(वाणिज्य-1,2,3)/(आई.टी.)/(पावर मैनेजमेंट)/(क्षेत्रीय कार्यालय), एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल।

क्रमश : 2

2. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र. पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इंदौर।
3. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र. पॉवर जनरेटिंग / ट्रांसमिशन कं.लिमिटेड, जबलपुर।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (बैंक एवं अर्थ प्रबंधन), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सालय), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
7. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
8. अधीक्षण यंत्री (सिविल) मुख्यालय, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
9. उप महाप्रबंधक (वाहन शाखा), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
10. कार्यपालन यंत्री (सिविल संभाग-प्रथम/प्रशा.भवन), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं.लिमिटेड, जबलपुर।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं पेंशन), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
12. निज सचिव संबद्ध प्रबंध संचालक, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
13. स्थानिक अभियंता, एम-13, ग्रीन पार्क मेन, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
14. सुरक्षा अधिकारी (मुख्यालय), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

उप महाप्रबंधक (मानव संसा.एवं प्रशा.)
एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
जबलपुर